सत्यमेव जयते

राजभवन सूचना परिसर, उत्तराखण्ड

<u>प्रेसविज्ञप्ति</u>

दिनांक 10 मई, 2012

<u>राज्यपाल ने 19 बंदियों को रिहा करने के आदेश दिये।</u>

उत्तराखण्ड की राज्यपाल श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने मानवीयता का परिचय देते हुए उत्तराखण्ड से राजस्थान प्रस्थान करने से पूर्व 19 बंदियों को रिहा करने के आदेश दिये हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष अधिकारों (क्षमादान, सजा कटौती) के अन्तर्गत 19 ऐसे बंदियों, जो 75 वर्ष या अधिक आयु के पुरूष एवं 70 वर्ष या अधिक आयु की महिला द्वारा अपनी सजा का एक तिहाई पूर्ण कर लिया हो, को रिहा करने के आदेश गृह विभाग को जारी किये है।

रिहा किये जा रहे बंदियों में गोविन्द राम पुत्र श्री दौलतराम उम्र 93 वर्ष जनपद पौड़ी, दोधराम पुत्र डाल चन्द्र उम्र 90 वर्ष जनपद उद्यमसिंह नगर, कुशल सिंह पुत्र हरिशरण उम्र 89 वर्ष जनपद उत्तरकाशी, लक्ष्मण सिंह पुत्र प्रेम सिंह उम्र 82 वर्ष जनपद चम्पावत, आनन्दी पत्नी मूलचन्द उम्र 80 वर्ष जनपद उद्यमसिंह नगर, खुशहाल सिंह पुत्र हीरा सिंह उम्र 81 वर्ष जनपद पौड़ी, कुंदन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह उम्र 77 वर्ष जनपद अल्मोड़ा, नारायण सिंह पुत्र हुकम सिंह उम्र 77 वर्ष जनपद उद्यमसिंह नगर, उत्तम सिंह पुत्र प्रताप सिंह उम्र 76 वर्ष जनपद अल्मोड़ा, शोभाराम पुत्र शुग्गन उम्र 76 वर्ष जनपद हरिद्वार, महेन्द्र सिंह पुत्र हुकम सिंह उम्र 75 वर्ष जनपद हरिद्वार, भानुमति पत्नी बलदेव उम्र 75 वर्ष जनपद उद्यमसिंह नगर, धनराज पुत्र कुल प्रसाद उम्र 75 वर्ष जनपद देहरादून, नन्दी देवी पत्नी श्री कुन्दन सिंह उम्र 71 वर्ष जनपद अल्मोड़ा, कबुतरी देवी पत्नी लोकानन्द उम्र 71 वर्ष जनपद रूद्रप्रयाग, हीरा देवी पत्नी कुंवर राम उम्र 71 वर्ष जनपद देहरादून, हरू देवी पत्नी श्री कल्याण सिंह उम्र 70 वर्ष जनपद उद्यमसिंह नगर, लाल बहादुर पुत्र श्री भक्त बहादुर 34 वर्ष से अधिक समय पूर्ण मुक्ति की सजा भुगत चुके एवं कु0 क्रिस्टीना चकचूबक पुत्री जॉन चकचूबक इन्हें 06 वर्ष सशक्त कारावास के साथ साथ 25 हजार अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया गया है तथा अर्थ दण्ड न अदा करने की दशा में 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है। 06 माह की अतिरिक्त सजा से मुक्त करने के लिए रूपये 25 हजार अर्थदण्ड को माफ करने का आदेश जारी किया गया है। उक्त कैदियों में 14 कैदी हरिद्वार जेल में तथा 05 कैदी देहरादून जैल में बंद हैं।

————————0————————

सूचना अधिकारी श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड मो0–9456590619 टेली फैक्स 0135–2756172